# बिस्कोमान

(बिहार–झारखण्ड)

## सार्वजनिक नीलामी सूचना

1. सामग्रियों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में कार्यपालक निदेशक (बिस्को–फ्रीज), बिस्कोमान, पटना (मो0–9102997610 / 7979990681) से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

2. मुहरबंद लिफाफे में प्रति किलोग्राम लोहे तथा लकडी का दर जी0एस0टी0 सहित (अंक एवं शब्दों में स्पष्ट) के साथ–साथ स्वअभिप्रमाणित आई0डी0 की छायाप्रति एवं जमानत की राशि ₹5,00,000.00 (पाँच लाख) मात्र का डी0डी0 किसी राष्ट्रीकृत बैंक से "बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, पटना" के नाम से बनवाकर (जो पटना में भुगतेय हो) जमा करना अनिवार्य है।

3. बिना जमानत की राशि वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. अनुपयोगी लकड़ियों / मशीनरी आदि को शीत भंडार से निकाल कर ले जाने आदि पर होने वाले व्यय कोटेशनदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इसके लिए किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. कोटेशन दिनांक 12.09.2023 को अपराह्न 01:00 बजे तक कार्यपालक निदेशक (बिस्को–फ्रीज), बिस्कोमान मुख्यालय पटना, छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पटना स्थित कार्यपालक निदेशक (बिस्को–फ्रीज) कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा, जो उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न कोटेशनदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी कोटेशन खोला जायेगा।

6. यह माना जायेगा कि नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के नीलामी में भाग लेने के पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण / सत्यापन कर लिया गया है। सामग्रियों के उठाव के पश्चात नीलामीकर्त्ता सामग्रियों से संबंधित किसी प्रकार का त्रुटि / शिकायत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

7. अधिकतम राशि वाले कोटेशनदाता को सामग्री उठाव के पूर्व दो दिनों के अन्दर ₹15.0 (पन्द्रह) लाख रूपये का डी0डी0 के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा की गई जमानत की राशि जप्त करते हुए द्वितीय अधिकतम कोटेशनदाता (जिनका दर प्रथम अधिकतम कोटेशनदाता से विशेष अंतर न हो) के साथ वार्त्ता किया जायेगा।

8. अधिकतम राशि वाले कोटेशनदाता को 10 (दस) दिनों के अन्दर सभी अनुपयोगी सामग्रियों (यथा लकड़ी एवं मशीनरी) का जमा राशि के समतुल्य सामग्री के उठाव के पश्चात्, शेष बचे सामग्रियों के उठाव से पूर्व ₹4.0 (चार) लाख डी0डी0 के रूप में पुनः जमा करना होगा।

9. बाकी बचे सामग्रियों के वजन के पश्चात् जमानत की राशि से समायोजन / लौटाने की कार्रवाई की जायेगी।

10. नीलाम किये गये सामग्रियों की सूची चलान के साथ अधिकतम राशि वाले कोटेशनदाता को सामग्रियों ले जाने हेतु दिया जाएगा। सामग्री ले जाने के क्रम में गलत सामग्रियों को सम्मिलित कर लिए जाने के कारण उत्पन्न कानूनी समस्याओं की सारी जवाबदेही सामग्री ले जाने वाले पर होगा। किसी भी हालत में नीलामीकर्त्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

11. कोटेशन खोलने के उपरान्त अधिकतम राशि वाले तीन कोटेशनदाता के डी0डी0 को रोकते हुए शेष कोटेशनदाता को उसी समय डी0डी0 लौटा दिया जायेगा।

12. सभी प्रकार के देयकरों के भुगतान की जवाबदेही सफल क्रेता की होगी।

13. बिना कारण बताये किसी / सभी कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

प्रबंध निदेशक

:\Ruby bhatt\ENGG\Notice 21-08-2023.doc